

Ang 6405
प्रपत्र

प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
वन विभाग ।

सेवा में

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हरियाणा,
पंचकूला ।

यादी क्रमांक 601-व-स्पै0-2015/ 17235
चण्डीगढ़, दिनांक 8/10/2015

विषय: Diversion of 5.09175 ha. of forest land for setting up of National Optical Fiber Network in Barara Block in various strips, under Forest Division and District Ambala, Haryana. (D-III-6405).

संदर्भ: आपका पत्र क्रमांक प्रशा-डी-तीन-6405/3774, दिनांक 15.09.2015 । P. 49

उपर्युक्त विषय पर आपके प्रस्तावनुसार SDE(Trans.) BSNL, Ambala Cantt के अनुरोध पर हरियाणा में for setting up of National Optical Fiber Network in Barara Block in various strips, under Forest Division and District Ambala, Haryana हेतु वन भूमि के वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत उपयोग की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है:-

1. वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जायेगी ।
2. कोई वृक्ष इस क्षेत्र में नहीं काटा जायेगा ।
3. प्रयोक्ता एजेंन्सी स्थानीय अधिनियमों/नियमों के अन्तर्गत राज्य सरकार के वन विभाग से वन संरक्षण तथा पौधारोपण के हित में राज्य वन विभाग की किसी भी शर्त की पालना करेगी ।
4. ओ०एफ०सी० अम्बाला जिले में वन भूमि के सबसे बाहरी किनारे के साथ बिछाई जायेगी और खोदी गई जमीन प्रयोक्ता एजेंन्सी द्वारा पुनः स्थापित की जायेगी ।
5. प्रयोक्ता एजेंन्सी किसी भी प्रकार की वन सम्पदा/पर्यावरण को होने वाली हानि की भरपाई करेगी ।
6. प्रयोक्ता एजेंन्सी किसी भी प्रकार के रख-रखाव के कार्यों के लिए वन विभाग के स्थानीय अधिकारी की अनुमति प्राप्त करेगी ।
7. वन भूमि का उपयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जाएगा ।
8. यह स्वीकृति अन्य सम्बन्धित अनुच्छेदों/नियमों/न्यायालय आदेशों/अनुदेशों आदि के अधीन प्रस्ताव की अनुमति पर निर्भर करती है जैसाकि इस प्रस्ताव पर लागू है ।
9. खाई (trench) की चौड़ाई एक मीटर से अधिक व गहराई दो मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिये ।
10. यह स्वीकृति राष्ट्रीय उद्यान व वन्य प्राणी विहार क्षेत्रों में लागू नहीं होगी ।
11. राज्य सरकार इस स्वीकृति को किसी भी समय स्थगित/रद्द कर सकती है यदि उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का कार्यन्वित सन्तोषप्रद नहीं है ।

भवदीय,

विशेष सचिव

कृते: प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
वन विभाग ।

प्रतिलिपि:-

1. वनपाल, केन्द्रीय भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, उत्तर क्षेत्रीय परिमण्डल, कार्यालय बेज न० 24-25, सैक्टर-31 ए चण्डीगढ़ को सूचनार्थ भेजी जाती है ।
2. वन मण्डल अधिकारी, अम्बाला ।
3. SDE(Trans.) BSNL, Ambala Cantt.

पंजीकरण 4381-82

दिनांक 19-10-15

~~पंजीकरण Dfo Ambala / CP month period
का कामकाज कायदा के अंतर्गत~~

Notd Officer, Conservator of Forests (FC)
O/o Principal Chief Conservator of Forests
Mayana, Panchkula.

[Handwritten signature]

दिनांक: 21/10/2015

पंजीकरण 3259-60

① इसका एक प्रती निम्न का :-

- ① Sub-Divisional Engineer (Transmission) Bharat Sanchar Nigam Ltd, Ambala Cantt. का राजकीय सार्वजनिक कार्यवाही हेतु प्रेषित है
- ② वन राजकीय सार्वजनिक सेवा का सूचनाएं एक सार्वजनिक कार्यवाही हेतु प्रेषित है

Divisional Forest Officer,
Ambala Forest Division,
Ambala.
[Handwritten signature]
20/10/15